

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 58 सन 2022

अनवान :-

1. रामेती पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिंह जाति गुसाई निवासी डोबीबास सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 19/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 14.2440हैव मे से 3/56 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामदेई पुत्री लालचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रामेती पुत्री लालचन्द है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामेती पुत्री लालचन्द दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रामदेई पुत्री लालचन्द के स्थान पर रामेती पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 14.2440हैव मे से 3/56 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रामदेई पुत्री लालचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रामेती पुत्री लालचन्द है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामेती पुत्री लालचन्द दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 14.2440हैक् मे से 3/56 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रामदेई पुत्री लालचन्द दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रामेती पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामेती पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिह दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की ऐतराज नही के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 14.2440हैक् मे से 3/56 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रामदेई पुत्री लालचन्द के स्थान पर रामेती उर्फ रामदेई पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिह निवासी डोबीबास सरदारपुरा बास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 58/2022 अनवानी रामेती बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. रामेती पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिंह जाति गुसाई निवासी  
डोबीबास सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला  
हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 58/2022 अनवानी रामेती बनाम सरकार में दिनांक 19/7/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 33/33 की कुल 14.2440 हैक् मे से 3/56 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रामदेई पुत्री लालचन्द के स्थान पर रामेती उर्फ रामदेई पुत्री लालचन्द पत्नी भूपसिंह निवासी डोबीबास सरदारपुरा बास संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )